[2018] 6 एस. सी. आर 960

यूनाइटेड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

ऑर्किड केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 19938/2017)

में

(प्रकीर्ण आवेदन संख्या 1764/2017)

17 जनवरी, 2018

[न्यायमूर्ति**,** रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति**,** नवीन सिन्हा**]**

व्यापार और वाणिज्य चिह्न अधिनियम, 1958 धारा 46/56 और धारा111/107 पटेल फील्ड मार्शल एजेंसियों एबं अन्य बनाम पी. एम. डीजल लिमिटेड एबं अन्य में निर्णय दिनांकित 29-11-17। [सिविल अपील 2001 की सी. ए. क्रमांक 19937 और 2017 की 19938 और 2012 की एस. एल. पी. (सी) क्रमांक 30121 के साथ] जैसा कि [2017] 12 एस. सी. आर. 674 में रिपोर्ट किए गए तत्काल आदेश के संदर्भ में संशोधित किया गया है-दिनांक 17-01-18 के आदेश का पूरा लेख

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील 19938/2017 में प्रकीर्ण आवेदन संख्या 1764/2017

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 18.05.2012 के निर्णय और आदेश से 2011 एल. पी. ए. क्रमांक 679।

जे. साई दीपक, भारद्वाज जयशंकर, मोहित गोयल, सिद्धांत गोयल, आशुतोष नगर, पी. डी. वी. श्रीकर, दीपांकर मिश्रा, मिश्रा सौरभ, अधिवक्ताअपीलार्थी की ओर से ।

ग्लेडिस डेनियल्स, एस. संतनम, स्वामीनाथन, सुश्री आरती राजन, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगणओं की ओर से ।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, इस न्यायालय के 2011 की सिविल अपील क्रमांक 4767-4769 में पारित दिनांक29 नवंबर, 2017 के फैसले को और अन्य संबंधित मामलों को निम्नलिखित शब्दों में संशोधित किया गया है।

(i) कंडिका 13 में, "अपीलों में अपीलार्थीगण की ओर से दी गई दलीलें" शब्दों को "2001 की सिविल अपील क्रमांक 4767-4769 में अपीलार्थीगण की ओर से दी गई दलीलें और 2012 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 27309 से उत्पन्न अपील में प्रत्यर्थीगण" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) कंडिका14 में, "उत्तर में, प्रत्यर्थी की ओर से" शब्दों को "जवाब में, 2001 की सिविल अपील क्रमांक 4767-4769 में प्रत्यर्थीगण की ओर से और 2012 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक27309 से उत्पन्न अपील में अपीलार्थी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) कंडिका 37 निम्नानुसार पढ़ी जाएगी

37. उपरोक्त लेखके प्रकाश में ऊपर दर्शित किये गए तरीके से उत्पन्न होने वाले प्रश्न का उत्तर देते समय, नयायालय की सिविल अपील क्रमांक4767-4679 वर्ष २००९ और विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 1851 वर्ष २००९ से उत्पन्न होने वाली सिविल अपील को खारिज करते हैं एवं 2012 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 27309 से उत्पन्न होने वाली सिविल अपील की अनुमति देते हैं।

2. उपरोक्त शर्तों के तहतआवेदन की अनुमति प्रदान की जाती है।

आवेदन की अनुमति दी गई।